राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–873/2020

नरेश कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव गृह, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, रेंज अजमेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.08.2020
आदेश की दिनांक : 08.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के पद पर अगस्त, 1996 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.08.1996 को कार्यग्रहण किया। इसके पश्चात सितम्बर, 2008 में अपीलार्थी को उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह भी तथ्य अंकित किये गए है कि अपीलार्थी के विरूद्ध फरवरी, 2014 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा केश दर्ज किया गया एवं एफआईआर संख्या 103/2014 दर्ज की गई, जिस पर विभाग ने दिनांक 28.04.2014 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चालान प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय में प्रकरण विचारण हेतु भेजा गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश सैशन न्यायालय (भ्र.नि.अधि.)

अजमेर ने दिनांक 25.01.2018 को गवाहों और रिकॉर्ड पर उपस्थित साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात अपीलार्थी को दोषमुक्त किया। इसके उपरांत विभाग ने दिनांक 11.04.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किया। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने दिनांक 24.09.2018 के आदेश पारित किया कि निलम्बन अवधि को सर्वप्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए इन्हें निलम्बन काल में दिये गये वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य शेष भत्ते जब्त राजकोष किये जाते है। यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्राथमिक जांच भी करवाई जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं सतर्कता) रेंज कार्यालय अजमेर द्वारा दिनांक 30.04.2019 को प्राथमिक जांच में अपीलार्थी के विरुद्ध अनुसंधान में किसी प्रकार की अनियमितता बरतने तथा लापरवाही का अपचार कारित करना प्रमाणित नहीं पाया गया। अपीलार्थी की ओर से विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को एक षड्यंत्र के तहत बिना दोष के कूटराचित दस्तावेज तैयार कर फंसाया गया था। विभाग ने बिना तथ्यों की जांच किये निलम्बित किया था। न्यायालय से तथा विभाग से दोनों से ही दोषमुक्त होने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को उक्त अवधि का सम्पूर्ण वेतन दिया जावें तथा नियमानुसार अपीलार्थी को 7वें वेतनमान का लाभ भी दिया जावें तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> (क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2018 को अपास्त किया जावें समस्त रिकॉर्ड मंगाया जाकर विपक्षीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को 28.04.2014 से निलम्बन बहाली तक निलम्बन काल के शेष वेतन भत्तों का 9 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को भुगतान किया जावें तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान तथा 7वें वेतन आयोग का फिक्सेशन कर समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को अप्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें।

(ख) खर्चा अपील दिलाया जाये।

(ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समक्षे, दिलवाई जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के संबंध में पारित निलंबन आदेश दिनांक 28.04.2014 को पूरी तरह से अनुचित नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी द्वारा श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 3593–99 दिनांक 24.09.2018 के विरूद्ध शासन सचिव राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–11) विभाग में प्रस्तुत अपील के सम्बंध में शासन सचिव गृह द्वारा अपील संधारण योग्य नहीं पाया जाना मानकर खारिज की गई है। अपीलार्थी पुलिस की नियुक्ति तिथि 19.08.1996 के अनुसार 18 वर्ष की निर्धारित सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 19.08.2014 से कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के आदेश क्रमांक 2531 दिनांक 18.10.2020 के द्वारा द्वितिय एसीपी स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया जा चुका है। इसी प्रकार कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के आदेश क्रमांक 2532 दिनांक 18.10.2020 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से नियमानुसार सातवें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित वेतन स्थरीकरण किया जाकर जिला नागौर में पदस्थापन अवधी तक की आगामी वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जा चुकी है। अपीलार्थी श्री नरेश शर्मा निरीक्षक पुलिस के विरुद्ध एसीबी में मुकदमा संख्या 103/2014 धारा 7, 8, 13 (1) (डी) 13 (2) पीसी एक्ट व 120बी भादस दर्ज होने पर दिनांक 28.04.2014 को श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1907 दिनांक 28.04.2014 के द्वारा निलम्बित किया जाकर निलम्बन अवधी में मुख्यालय जिला अजमेर किया गया, जिसके अनुसार निलम्बन अवधी का निर्वाह भत्ता दिये जाने हेतु दिनांक 30.06.2014 तक पैड का अंतिम भुगतान पत्र जिला अजमेर प्रेषित किया गया है। जिनको उक्त प्रकार एसीपी में वेतन निर्धारण एवं सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण की ऐरियर राशि का भुगतान जिला अजमेर द्वारा देय होने से जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को अवगत कराया जा चुका है। अपीलार्थी श्री नरेश शर्मा निरीक्षक पुलिस की नियुक्ति तिथि 19.08.1996 के अनुसार 18 वर्ष की निर्धारित

सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 19.08.2014 से कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के आदेश क्रमांक 2531 दिनांक 18.10.2020 के द्वारा द्वितिय एसीपी स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया जा चुका है। इसी प्रकार कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के आदेश क्रमांक 2532 दिनांक 18.10.2020 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से नियमानुसार सातवे वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित वेतन स्थरीकरण किया जाकर जिला नागौर में पदस्थापन अवधी तक की आगामी वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जा चुकी है। अपीलार्थी श्री नरेश शर्मा निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध एसीबी में मुकदमा संख्या 103/2014 धारा 7, 8, 13 (1) (डी) 13 (2) पीसी एक्ट व 120बी भादस दर्ज होने पर दिनाक 28.04.2014 को श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1907 दिनांक 28.04.2014 के द्वारा निलम्बित किया जाकर निलम्बन अवधी में मुख्यालय जिला अजमेर किया गया, जिसके अनुसार निलम्बन अवधी का निर्वाह भत्ता दिये जाने हेतु दिनांक 30.06.2014 तक पैड का अंतिम भुगतान पत्र जिला अजमेर प्रेषित किया गया है। जिनको उक्त प्रकार एसीपी में वेतन निर्धारण एवं सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण की ऐरियर राशि का भुगतान जिला अजमेर द्वारा देय होने से जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को अवगत कराया जा चुका है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को इस आधार पर निलम्बित किया गया था कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। निलंबन आदेश दिनांक 28.04.2014 में अपीलार्थी को निलम्बन के दिन वेतन का आधा भाग एवं उसे नियमानुसार देय महंगाई भत्ता आदि निर्वाह पेय के रूप में देने के आदेश दिये गए थे। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गए प्रकरण में न्यायालय में दोषमुक्त किया गया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 24.09.2018 (अनुलग्नक–4) पारित किया है। जिसमें यह आदेश दिया गया है कि निलम्बन अवधि को सर्वप्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए निलम्बन काल में दिये गए वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य शेष वेतन भत्ते जमा राजकोष किये जाते हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका

था, ऐसे में जो निलम्बन काल का देय शेष वेतन भत्ते नियमानुसार अपीलार्थी को देय थे और शेष वेतन भत्तों को राजकोष में जमा किया जाना उचित नहीं है।

5. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। नियम–54(2) का राजस्थान सेवा नियम में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> नियम–54(2):– जहाँ प्राधिकारी को यह स्पष्ट हो जावे कि कर्मचारी को पूर्णतया दोष–मुक्त कर दिया गया है अथवा उसका निलम्बन पूर्णतः अनुचित था तो कर्मचारी उस अवधि का वेतन एवं महँगाई भत्ता आदि उसी दर पर प्राप्त करेगा जो वह सेवा से निलम्बित, निष्कासित या अनिवार्यतः सेवानिवृत नहीं किया जाता तो, प्राप्त करता।

6. अतः उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि दोषमुक्त हो जाने की सूरत में कर्मचारी को निलम्बन अवधि का वेतन व महंगाई भत्ता आदि उसी दर से प्राप्त होंगे, जो निलम्बन नहीं होने की सूरत में उसे प्राप्त होते।

7. उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में निलम्बन काल में दिये गए वेतन भत्तों के अलावा अन्य वेतन भत्तों को राजकोष में जमा किये जाने का आदेश अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2018 निलम्बन काल में देय वेतन भत्तों के आदेश की हद तक अपास्त किया जाता है। उपरोक्त अनुसार यह अपील स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को निलम्बन काल की अवधि का वेतन एवं महंगाई भत्ते आदि उसी दर से दिये जाये, जो वह निलम्बित नहीं होने की सूरत में प्राप्त करता। इस आदेश की पालना 3 माह में की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)